

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

2019–20 चीनी मौसम के लिए गन्ने की मूल्य नीति हेतु प्रश्नावली

1. चीनी मिलों द्वारा इस्तेमाल क्षमता :

- (i) आपके राज्य में वर्ष 2017–18 के दौरान अथवा नवीनतम उपलब्ध विभिन्न सेक्टरों (राज्य, सहकारी तथा निजी) में स्थापित क्षमता का ब्योरा दें तथा चीनी मिलों द्वारा इस्तेमाल का प्रतिशत बताएं।
- (ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल की मशीनरी के क्षमता विस्तार और/या आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।
- (iii) सेक्टर द्वारा आसवनी (distillery) और विद्युत उत्पादन के साथ चीनी मिलों की संख्या
- (iv) गन्ना और चीनी के उत्पादन संबंधी आंकड़े

2. थोक मूल्य:

- (i) पिछले दो मौसम तथा चालू मौसम के दौरान राज्य की मुख्य मंडियों में चीनी के थोक मूल्य दर्शाएं।
रु0/विवर

मद	वर्षांत थोक मूल्य (मंडी औसत) (लगभग)		
	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4
चीनी			
शीरा			
प्रेस मड			
खोई			
कोई अन्य			

- (ii) उपर्युक्त अवधि में मूल्यों के संचलन में देखे गए उतार–चढ़ाव के कारण दें।

3. उपोत्पाद:

उपोत्पाद का नाम	प्रति टन उत्पादित चीनी में प्रयोग उपोत्पाद का प्रतिशत			2017–18 में मूल्य (लगभग) (रु0/टन)
	2015–16	2016–17	2017–18	
शीरा				
खोई				
प्रेस मड				

- 4. **शीरा के मूल्य:** आपके राज्य में उत्पादित शीरे के मूल्यों और वितरण की नीति व्यवस्था बताएं। यदि शीरे की आपूर्ति पेय अल्कोहल उद्योग को की जाती है तो खुले बाजार में मूल्यों की तुलना में चीनी मिलों को शीरे की बिक्री से अपेक्षित मात्रा और मूल्य दर्शाएं।
- 5. कृपया नवीनतम उपलब्ध तीन वर्षों के दौरान वसूली का अनुमानित स्तर के लिए इन उत्पादों के विक्रय से

अलग—अलग और संयुक्त (लगाई गई कीमत में चीनी मिल में और अधिक मूल्य वृद्धि के लिए ऐसे उत्पादों की हस्तांतरण कीमत के लिए अविक्य कीमत या नोशनल शामिल होती है जैसे शीरं से शराब और एथनाल का उत्पादन, जैव खाद बनाने के लिए प्रेस—मड़ का प्रयोग और/या मध्य—निर्माणशाला बहिस्त्राव उपचार, खोई से बिजली उत्पादन या उप—उत्पादों से मूल्य संवर्धन के माध्यम से उत्पादित कोई अन्य उत्पाद परंतु केवल चीनी के उत्पादन हेतु मुख्य चीनी मिल के बायलर को चलाने के लिए प्रयोग की गई खोई को शामिल नहीं किया जाएगा) मूल्य वसूली/लगाई गई कीमत के स्तरों पर सूचना उपलब्ध कराएं।

6. **विविधिकरण:** कृपया उप—उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा चीनी के विविधिकरण के लिए हुई प्रगति का व्यौरा दें:
 - i एल्कोहल और एथनाल का उत्पादन करने वाली चीनी मिलों की संख्या (क्षेत्र—वार/कुल) उनका उत्पादन और प्रति लीटर निष्कर्षण, एथनाल के उत्पादन और बिकी में चीनी मिलों के समक्ष आने वाली समस्याएँ।
 - ii ऐसी चीनी मिलों की संख्या (क्षेत्रवार) जो सह उत्पादित सुविधाएँ संस्थापित कर चुकी है/संस्थापित करने की प्रक्रिया में है और उनकी बिजली की प्रति इकाई बिकी से वसूली, इनकी समस्याएँ और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदम बताएँ।

7. एथनाल मिलाना

- (i) क्या आपके राज्य में एथनाल मिलाने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है? हां/नहीं
- (ii) यदि हां, तो मिलाने की दर, एथनाल का मूल्य और कुल उत्पादन तथा खपत बताएं।
- (iii) यदि हां, तो यह कितना सफल रहा तथा इसकी कमियों का कारण सहित उल्लेख करें।
- (iv) यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं?
- (v) कृपया एथनाल मिलाने के सुझाव के साथ साथ एथनाल मूल्य निर्धारण हेतु सही पद्धति बताएं।

8. **बकाया का व्यौरा :** पिछले पांच मौसमों तथा चालू मौसम के लिए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार गन्ने का बकाया निम्नलिखित सारणी में भरें।

मौसम	देय राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिशत	दिनांक जिससे बकाया पूरी तरह से समाप्त हुए	बकाया का कारण
1	2	3	4	5	6

9. **रूग्नता:** कृपया रूग्न चीनी मिलों की संख्या, यदि कोई हो, उनकी रूग्नता के कारण और ऐसी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदम।

10. गन्ना क्षेत्र आरक्षण :

- (i) गन्ना क्षेत्र आरक्षण—उन्मूलन/अवस्थिति/संशोधन पर आपके विचार क्या है? गन्ना क्षेत्र आरक्षण की समयावधि भी बताएं।
- (ii) आपके विचार में वर्तमान चीनी मिल और स्थापित की जाने वाली एक अन्य नई चीनी मिल के बीच कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए तथा इसके कारण बताएं?

11. **लागत अनुमान के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली:** क्या राज्य सरकार खेती/उत्पादन लागत अनुमान तैयार करती है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के लिए परिभाषाओं और अभिगृहित धारणाओं सहित प्रयुक्त कार्यप्रणाली और गन्ना फसल हेतु तैयार किए गए अनुमानों का व्यौरा उपलब्ध कराएं।

12. फार्म मशीनरी जैसे कि (क) सिंचाई के लिए प्रयुक्त ट्रैक्टर्स/हार्वेस्ट्रस तथा पंप सेट्स और (ख) उसके प्रचालन के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण आगतों जैसे डीजल, लुब्रीकेंट्स, मरम्मत/रखरखाव प्रभार इत्यादि के सापेक्ष भाग सहित अन्य कार्य की प्रचालन लागत क्या है?

वर्ष	प्रचालन लागत (प्रति हेट)				
	सिंचाई		अन्य उद्देश्य		
	ट्रैक्टर्स	पंपसेट	ट्रैक्टर्स	कटाई मशीन	अन्य (कृपया विवरित करें)*
2014–15					
2015–16					
2016–17					
2017–18 (यदि उपलब्ध है)					

13. **कीटनाशकों/कृमिनाशकों/खरपतवारनाशकों के मूल्य तथा उपभोग:**

(क) पांच प्रमुख कीटनाशकों/कृमिनाशकों/खरपतवार नाशकों के खुदरा मूल्य (रु0 प्रति किलोग्राम) तथा खपत (प्रति हेक्टेक्टर) का विवरण निम्नलिखित सारणी में दें :-

कृमिनाशक का नाम	प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र	औसत उपज नुकसान	कीटनाशक का नाम	2015–16		2016–17		2017–18 (संभावित)	
				खुदरा मूल्य*	प्रयोग मात्रा#	खुदरा मूल्य*	प्रयोग#	खुदरा मूल्य*	प्रयोग#

*(रु0 प्रति किलोग्राम), # प्रति हेक्टेक्टर

(ख) उपलब्धता, गुणवत्ता, मूल्य आदि के बारे में प्रमुख बाधाओं संबंधी सूचना दें।

14. **उर्वरक की लागत और इसकी उपलब्धता :** कृपया निम्नलिखित विवरण भरें:

- i फास्फेट, पोटाश उर्वरकों का खुदरा मूल्य और गन्ने में उनका उपयोग दर्शाएं :

उर्वरक का नाम	2016–17		2017–18		2018–19 (संभावित)	
	खुदरा मूल्य (रु.)	प्रति हेक्ट. इस्तेमाल	खुदरा मूल्य (रु.)	प्रति हेक्ट. इस्तेमाल	खुदरा मूल्य (रु.)	प्रति हेक्ट. इस्तेमाल
1						
2						

- ii क्या पिछले मौसम में उर्वरक की उपलब्धता और कुल खरीद आशा के अनुरूप थी? यदि नहीं तो इस कमी के क्या कारण थे।

- iii फार्म खाद इस्तेमाल की प्रति हेक्टेयर औसत मात्रा और इसके मूल्य

15. **भूमि किराए पर देने की दरें:**

क्या राज्य में भूमि किराए पर देना प्रचलित है? यदि हां, तो खेती योग्य भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए किराया दरें बताएं:

- (क) पट्टे के क्षेत्र में सीमांत एवं छोटे किसानों के हिस्से के साथ खेती की लागत में पट्टे के अधीन क्षेत्र का अनुपात
 (ख) संविदा उत्पाद या नकद हिस्से की प्रकृति
 (ग) अवधि—मौसमी तथा वार्षिक

- 16) **अन्य संघटकों की लागतें :** कृपया निम्नलिखित सारणी में प्रदत्त विपणन प्रभार, प्रीमियम की अदायगी पर होने वाले

व्यय तथा परिवहन लागत आदि सूचना निम्नलिखित सारणी में दें:

विवरण	यूनिट	रु०
किसानों द्वारा प्रदत्त विषयन प्रभार	(प्रति विंटल)	
प्रीमियम पर व्यय	(प्रति हेक्टेयर)	
मिल गेट/क्रय केन्द्र पर औसत परिवहन लागत	(प्रति विंटल)	

17. गने के लिए बीमा से संबंधित सूचना :

- i. फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों की प्रतिशतता तथा उनके द्वारा प्रदत्त प्रीमियम की राशि।
 - ii. राज्य में कितने प्रतिशत ऋण प्राप्त करने वाले किसान तथा ऋण प्राप्त न करने वाले किसान फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं। कृपया ऋण प्राप्त करने वाले किसानों तथा ऋण प्राप्त न करने वाले किसानों का अलग अलग जुताई किए गए क्षेत्र का औसत बताएं।
 - iii. उन किसानों की प्रतिशतता बताएं जिन्होंने फसल बीमा का दावा प्राप्त किया है तथा उनके दावे पर उन्हें संवितरित धनराशि का ब्योरा दें।
 - iv. क्या फसल बीमा योजना उन किसानों के लिए विस्तारित की गई है जो खेतीहर स्वामी नहीं हैं लेकिन भूमि को खेती करने के उद्देश्य से पट्टे पर लिया है।
 - v. कृपया फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, का उल्लेख करें? ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार के क्या सुझाव हैं।
18. क. विशेष मिल पर क्रय केन्द्रों की संख्या तथा प्रतिशत शामिल औसत क्षेत्र
ख. क्रय केन्द्रों के माध्यम से क्रय किए गए उत्पाद का अनुपात

19. परिवहन से संबंधित सूचना:

(i) परिवहन तरीके से संबंधित सूचना: 2017–18 या जो नवीनतम उपलब्ध हो

क्रम सं०	परिवहन का तरीका	प्रत्येक परिवहन साधन का अनुपात	औसत दूरी			औसत परिवहन लागत (रु. प्रति विं.)		
			फार्म से क्रय केन्द्र	फार्म से कारखाना द्वार	क्रय केन्द्र से कारखाना द्वार	फार्म से क्रय केन्द्र	फार्म से कारखाना द्वार	क्रय केन्द्र से कारखाना द्वार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i.	ट्रेक्टर्स द्वाली							
ii.	ट्रक							
iii.	अन्य विनिर्दिष्ट करें							

(ii) कारखाना द्वार या क्रय केन्द्र तक कारखाने तथा गन्ना उत्पादकों द्वारा वहन की जा रही परिवहन लागत का ब्योरा :

मद	परिवहन किए गए गने का अनुपात (प्रतिशत)	औसत परिवहन लागत/प्रति विंटल	परिवहन किये गए गने की परिवहन लागत का अनुपात (प्रतिशत)	औसत परिवहन लागत/प्रति विंटल
चीनी कारखाना/कारखाना				

मालिक				
गन्ना उत्पादक				

(iii) जब चीनी कारखाने द्वारा कय केन्द्र पर सुपुर्दगी प्राप्त की जाती है तब गन्ने के परिवहन पर हाने वाली व्यय राशि काटी जाती है? यदि हां, तो क्या यह एक मुश्त रूप में काटी जाती है या प्रति किवंटल आधार पर? विवरण प्रदान करें।

(iv) कटाई लागत का ब्योरा :

गन्ना मौसम	निम्नलिखित के द्वारा खेत से गन्ने की कटाई का अनुपात		निम्नलिखित के द्वारा वहन कटाई का अनुपात		कटाई के लिए गन्ना उत्पादकों से कारखाने द्वारा काटी गई राशि (रूपए प्रति विवं)
	गन्ना कारखाना (प्रतिशत)	गन्ना उत्पादक (प्रतिशत)	गन्ना कारखाना (प्रतिशत)	गन्ना उत्पादक (प्रतिशत)	
2015–16					
2016–17					
2017–18					

(v) 2019–20 चीनी मौसम के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश के संदर्भ में कोई अन्य सूचना।

20. मांग और आपूर्ति स्थिति : निम्नलिखित वर्षों के लिए चीनी की मांग व आपूर्ति दर्शाएँ :

वर्ष	कुल मांग (एमटी)	कुल आपूर्ति (एमटी)	अभ्युक्तियां
2016–17			
2017–18			
2018–19 (संभावित)			

21. जिले वार क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज का ब्योरा

फसल का नाम: गन्ना

क्रम सं.	जिले का नाम	2015–16			2016–17			2017–18		
		क्षेत्र (हेक्टे.)	उत्पादन (टन)	उपज (कि. ग्रा/हेक्ट.)	क्षेत्र (हेक्टे.)	उत्पादन (टन)	उपज (कि. ग्रा/हेक्ट.)	क्षेत्र (हेक्टे.)	उत्पादन (टन)	उपज (कि. ग्रा/हेक्ट.)
	राज्य का कुल									

टिप्पणी:

- i विशेष वर्ष में क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के कारण बताएँ
- ii क्षेत्र स्तर प्रदर्शन के अंतर्गत राज्यवार औसत उपज तथा उपज

22. जल खपतः

गन्ने की किस्म / मौसम	क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा (लगभग)	कुल उत्पादन (लाख / एम.टी.)	उपज (विवं. / हेक्ट.)	गन्ने से प्राप्त चीनी की निष्कृष्ण दर (%) (लगभग)	फसल की अवधि (फसल की संगर्भता अवधि) (माह में)	सिंचाई का बोरा		
						स्रोत	प्रयुक्त की गई मानक सिंचाई की संख्या	सिंचाई स्तम्भ की औसत उंचाई (सें.मी.)

23. संभव सिंचाई के लिए लागत : जबकि, गन्ने की खेती के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण आगत है, अतः सिंचाई के लिए लगभग सही अनुमान की लागत दर्शाएँ:

क्रम सं.	सिंचाई का स्रोत	2017–18 में प्रतिशत सिंचित क्षेत्र	2017–18 के दौरान अतिरिक्त सुजित संभावित सिंचाई (हेक.)	संभावित सिंचाई सृजित करने की लागत (रु. प्रति हेक.)
1	नहर सिंचाई			
2	उथान सिंचाई			
3	ट्यूब वेल / बोर किए गए कुंए			
4	द्विप			
5	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			

24. जल का इस्तेमाल : गन्ने की खेती के लिए सिंचाई हेतु प्रयोग कुल जल में से, कृपया यह बताएं कि निम्नलिखित संघटकों के लिए जल का लगभग कितना प्रतिशत है :

इस्तेमाल किए गए कुल जल में से	प्रतिशतता
(i) गन्ने के लिए सामान्य रूप से खपने वाला जल (प्रतिशत) (लगभग)	
(ii) भू-जल पुनर्भरण को जाने वाला जल (प्रतिशत) (लगभग)	
(iii) वाष्पित जल (प्रतिशत) (लगभग)	

25. गन्ने से दूर क्षेत्र के विविधीकरण के लिए कार्यक्रमः

लक्षित फसल	लक्षित क्षेत्र	कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के बोरे

टिप्पणी: उत्तर एमएस (वडे) / एक्सेल में साफ्ट प्रतियों में दिए जाएं।

चीनी मिलों/अनुसंधान संस्थान

2019–20 के लिए प्रश्नावली (चीनी मौसम)

1. चीनी मिलों द्वारा इस्तेमाल क्षमता :

- i आपके राज्य में विभिन्न सेक्टरों (राज्य, सहकारी तथा निजी) में स्थापित क्षमता का ब्योरा दें तथा चीनी मिलों द्वारा इस्तेमाल का प्रतिशत बताएं।
- ii पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल की मशीनरी के क्षमता विस्तार और/या आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।
- iii विभिन्न क्षमताओं (सहकारी तथा निजी चीनी मिलों में) प्रति टन चीनी उत्पादन की लागत दर्शाएं।

2. थोक मूल्य:

- (i) निम्नलिखित वर्षों के दौरान राज्य में चीनी के थोक मूल्य दर्शाएं।

रु./किंवं.

मद	वर्षांत		
	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4
मिल द्वारा पर मूल्य			
थोक मूल्य			
खुदरा मूल्य			

- (ii) किसी वर्ष/वर्षों में मूल्यों में किसी असाधरण वृद्धि/कमी के कारण दर्शाएं।
- (iii) पूर्ववर्ती तीन मौसमों में इनकी तुलना किस प्रकार हुई है। मूल्यों के संचलन में देखे गए उतार-चढ़ाव के कारण दें।

3. उपोत्पाद:

उपोत्पाद का नाम	प्रत्येक एक टन उत्पादित चीनी में प्रयोग उपोत्पाद का प्रतिशत			2017–18 में मूल्य (लगभग) (रु0/टन)
	2015–16	2016–17	2017–18	
शीरा				
खोई				
प्रेस मड				

- 4. **शीरा के मूल्य:** आपके राज्य में उत्पादित शीरे के मूल्यों और वितरण की नीति व्यवस्था बताएं। यदि शीरे की आपूर्ति पेय अल्कोहल उद्योग को की जाती है तो खुले बाजार में मूल्यों की तुलना में चीनी मिलों को शीरे की बिक्री से अपेक्षित मात्रा और मूल्य दर्शाएं।
- 5. कृपया नवीनतम उपलब्ध तीन वर्षों के दौरान वसूली का अनुमानित स्तर के लिए इन उत्पादों के विक्रय से अलग-अलग और संयुक्त (लगाई गई कीमत में चीनी मिल में और अधिक मूल्य वृद्धि के लिए ऐसे उत्पादों की हस्तांतरण कीमत के लिए अविक्रय कीमत या नोशनल शामिल होती है जैसे शीरे से शराब और एथनाल का उत्पादन, जैव खाद बनाने के लिए प्रेस-मड का प्रयोग और आसवनी (distillery) बहिस्ताव उपचार, खोई से बिजली उत्पादन या उप-उत्पादों से मूल्य संवर्धन के माध्यम से उत्पादित कोई अन्य उत्पाद परंतु केवल चीनी के

उत्पादन हेतु मुख्य चीनी मिल के बायलर को चलाने के लिए प्रयोग की गई खोई को शामिल नहीं किया जाएगा) मूल्य वसूली/लगाई गई कीमत के स्तरों पर सूचना उपलब्ध कराएं।

6. विविधिकरण: कृपया उप-उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा चीनी के विविधिकरण के लिए हुई प्रगति का व्यौरा दें: इस संबंध में कृपया निम्नलिखित के बारे में बताएं

- i एल्कोहल और एथनाल का उत्पादन करने वाली चीनी मिलों की संख्या (क्षेत्र -वार/कुल) उनका उत्पादन और प्रति लीटर निष्कर्षण, एथनाल के उत्पादन और बिक्री में चीनी मिलों के समक्ष आने वाली समस्याएँ।
- ii ऐसी चीनी मिलों की संख्या (क्षेत्रवार) जो सह उत्पादित सुविधाएँ संस्थापित कर चुकी है/संस्थापित करने की प्रक्रिया में हैं और उनकी बिजली की प्रति इकाई बिक्री से वसूली, इनकी समस्याएँ और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदम बताएँ।

नोट:- यदि (i) और (ii) के संबंध में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है तो कृपया इसे शीघ्र एकत्रित करने की कार्रवाई की जाए तथा आवश्यक सूचना यथा शीघ्र भेज दी जाए।

एथनाल मिलाना

क्या आपके राज्य में एथनाल मिलाने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं ? यदि हां, तो यह कितना सफल रहा तथा इसकी कमियों का कारण सहित उल्लेख करें। कृपया एथनाल मिलाने के सुझाव के साथ साथ एथनाल मूल्य निर्धारण हेतु सही पद्धति बताए। क्या एथनाल के मूल्य उपर्युक्त (ii) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं या यह बाजार पर छोड़ दिया जाता है।

8. बकाया का व्यौरा : पिछले पांच मौसमों तथा चालू मौसम के लिए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार गन्ने का बकाया निम्नलिखित सारणी में भरें।

मौसम	देय राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिशत	दिनांक जिससे बकाया पूरी तरह से समाप्त हुए	बकाया का कारण
1	2	3	4	5	6

9. रूग्नता: कृपया रूग्न चीनी मिलों की संख्या, यदि कोई हो, उनकी रूग्नता के कारण और ऐसी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें।

10. गन्ना क्षेत्र आरक्षण :

- (i) गन्ना क्षेत्र आरक्षण-उन्मूलन/अवस्थिति/संशोधन पर आपके विचार क्या है? गन्ना क्षेत्र आरक्षण की समयावधि भी बताएं।
- (ii) आपके विचार में वर्तमान चीनी मिल और स्थापित की जाने वाली एक अन्य नई चीनी मिल के बीच कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए तथा इसके कारण बताएं?

11. उचित एवं लाभकारी मूल्य को 9.5 प्रतिशत वसूली दर के साथ जोड़ना: 2019–20 मौसम के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 9.5 प्रतिशत वसूली दर के साथ जोड़ने पर अपने सुझाव दें।

12. परिवहन से संबंधित सूचना:

(i) परिवहन साधन पर सूचना:

S. No.	कारखाना द्वारा/क्रय केन्द्र पर परिवहन का साधन	प्रत्येक परिवहन साधन का अनुपात	औसत परिवहन लागत (रु. प्रति विं.)	औसत दूरी		
				फार्म गेट से क्रय केन्द्र	फार्म गेट से मील द्वारा	क्रय केन्द्र से मील द्वारा
1	ट्रेक्टर/ट्राली					
2	ट्रक					
3.	अन्य विनिर्दिष्ट करें					

(ii) कारखाना द्वारा या क्रय केन्द्र तक कारखाने तथा गन्ना उत्पादकों द्वारा वहन की जा रही परिवहन लागत का व्योरा :

मद	परिवहन किये गए गन्ने का अनुपात (प्रतिशत)	परिवहन लागत का हिस्सा (प्रतिशत)
चीनी कारखाना/ कारखाना मालिक		
गन्ना उत्पादक		

(iii) जब चीनी कारखाने द्वारा क्रय केन्द्र पर सुपुर्दगी प्राप्त की जाती है तब गन्ने के परिवहन पर होने वाले व्यय राशि काटी जाती है? यदि हाँ, तो क्या यह एक मुश्त रूप में काटी जाती है या प्रति विवंटल आधार पर? विवरण प्रदान करें।

(iv) कटाई लागत का व्योरा :

गन्ना मौसम	निम्नलिखित के द्वारा खेत से गन्ने की कटाई का अनुपात		निम्नलिखित के द्वारा वहन कटाई का अनुपात		कटाई के लिए गन्ना उत्पादकों से कारखाने द्वारा काटी गई राशि (रूपए प्रति विं)
	गन्ना कारखाना (%)	गन्ना उत्पादक (%)	गन्ना कारखाना (%)	गन्ना उत्पादक (%)	
2015–16					
2016–17					
2017–18					

13. मिल किसान संयोजन:

प्रोद्योगिकी समर्थन	क्रय उत्पाद	कीटनाश क प्रबंधन	कारपोरेट समाजिक उत्तरदायित्व	किसानों द्वारा धारण किया गया हिस्सा

टिप्पणी: उत्तर एमएस (वडे) / एक्सेल में साफ्ट प्रतियों में दिए जाएं।

आई. सी. ए. आर.

प्रमुख उत्पादक राज्यों में 2019–20 के लिए गन्ने की प्रश्नावली

(i) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों के पास उपलब्ध गन्ने की नई किस्में

गन्ने की नई किस्म का नाम	नई किस्म शुरू होने का वर्ष	क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा (लगभग)	उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा (लगभग)	कुल उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	उपज (विं/ हेक्टर)	गन्ने से चीनी की निष्कर्षण दर (%) (लगभग)	फसल का समय/फसल की सागर्भता अवधि (महीनों में)

2. राज्यवार औसत उपज और क्षेत्र स्तर प्रदर्शन के अन्तर्गत उपज

राज्य	एफ. एल. डी.		वास्तविक	
	रोपण	पेड़ी	रोपण	पेड़ी

(iii) कृषि उपकरणों का भेदन

कृषि उपकरण का नाम	शुरू करने की तारीख	कृषि उपकरण की कुल लागत	कृषि उपकरण का दक्षता स्तर	
			पुराने उपकरण की प्रति यूनिट लागत*	नए उपकरण की प्रति यूनिट लागत *

* कृपया यूनिट भी विनिर्दिष्ट करें।

4. कोई अन्य सूचना जो यह विभाग, आयोग के ध्यान में लाना चाहता है।

टिप्पणी: उत्तर एमएस (वडी)/एक्सेल में साफ्ट प्रतियों में दिए जाएं।

चीनी निदेशालय के लिए

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

2019–20 मौसम के लिए गन्ने हेतु अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट के लिए प्रश्नावली।

1. पिछले पाँच वर्षों के दौरान निजी, सरकारी और सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रही और बन्द पड़ी हुई चीनी मिलों की संख्या (राज्य-वार)।
2. पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य-वार वार्षिक संस्थापित उत्पादन क्षमता, चीनी उद्योग की क्षमता उपयोग और पेराई किया गया गन्ना। क्या पैमाना किफायत हासिल करने के लिए संस्थापित क्षमता बढ़ाने और इसके उपयोग में कोई सुधार है?
3. 2017–18 तक पाँच वर्षों के दौरान चीनी के राज्य-वार/क्षेत्र-वार उत्पादन के अनुमान और 2018–19 के लिए संभावित अनुमान।
4. विस्तृत मद-वार ब्यौरे सहित पिछले पाँच वर्षों के दौरान चीनी का तुलन पत्र और 2018–19 के लिए अनुमान (निर्यात/आयातों सहित आपूर्ति और खपत शामिल करते हुए)
5. चीनी का माह-वार उत्पादन अखिल भारत के लिए विगत तीन वर्षों हेतु और 2017–18 के लिए अनुमान।
6. पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार और जोन-वार गन्ने से चीनी की सम्पूर्ण मौसम और शीर्ष मौसम औसत वसूली। सम्पूर्ण मौसम निष्कर्षण और शीर्ष मौसम निष्कर्षण के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए अखिल भारत भारित औसत वसूली।
7. पिछले पाँच वर्षों एवं वर्तमान वर्ष हेतु चीनी मिलों (वर्ग वार और संयुक्त रूप से) द्वारा प्रति विंटल चीनी की राज्य-वार और अखिल भारत भारित औसत कुल उत्पादन लागत बताएं। यह भी दर्शाएं कि उत्पादित चीनी की प्रति यूनिट (विंटल) लागत तथा खरीदे गए गन्ने का औसत प्रदत्त मूल्य क्या है।
8. पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में चीनी कारखानों द्वारा चीनी की बिक्री से राज्यवार तथा अखिल भारत भारित निष्कर्षण क्या है
9. विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए उप-उत्पादों (शीरा, खोई, प्रेस-मड इत्यादि) के विक्रय या उनकी लगाई गई कीमत से चीनी मिलों द्वारा की गई राज्य-वार, श्रेणी वार और अखिल भारत औसत वसूलियां।

10. पिछले पाँच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित चीनी मूल्यों के ब्यारे।
11. कृपया चीनी मौसम 2015–16 और 2017–18 के लिए क्षेत्र–वार और अखिल भारत औसत वसूली प्रतिशतता, औसत वसूली प्रतिशतता पर एस एम पी/एफ आर पी, रूपान्तरण लागत, लेवी मूल्य और लेवी मूल्य में प्रतिलाभ घटक की जानकारी दें।
12. वर्तमान प्रति व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवंटन और उसे निर्धारित करने का मानदंड बताएं।
13. (क) कुल मूल्य देय, कुल प्रदत्त मूल्य, बकाया और पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए मूल्य देय के बकायों की प्रतिशतता दर्शाते हुए 31 मई की स्थिति अनुसार राज्य–वार और क्षेत्र–वार गन्ना मूल्य बकाया।
(ख) यह सूचना कारखाना–वार भी दी जाए।
14. पिछले दस वर्षों तथा चालू वर्ष में पूरे वर्ष के लिए चीनी के माहवार/भारित औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बताएं।
15. पिछले दस वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए चीनी के राज्य–वार और अखिल भारत स्तर बाह्य मिल थोक मूल्य बताएं।
16. चीनी कारखानों द्वारा पिछले पांच मौसमों और चालू मौसम के लिए अदा किए गए राज्य–वार संविधिक न्यूनतम मूल्य/उचित एवं लाभकारी मूल्य (वसूली–संयोजित), राज्य परामर्शी मूल्य तथा अंतिम मूल्य
17. पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए चीनी का देश–वार निर्यात और आयात (मात्रा और कीमत) और शीरा (मात्रा एवं कीमत) बताएं।
18. कृपया चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर एक टिप्पणी संभव हल सहित।
19. कच्ची चीनी के आयात/निर्यात सहित वर्तमान आयात और निर्यात नीति पर टिप्पणी।
20. चीनी का प्रस्तावित नियंत्रण–हटाना और इसका चीनी उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों पर प्रभाव।
21. गन्ने से एथनाल उत्पादन में की गई प्रगति पर एक टिप्पणी, इसके मूल्यों का मुददा और खोई से बिजली का सह–उत्पादन, संभव हल सहित सामना की जा रही समस्याएँ।
22. प्रति किवंटल बेचे गए गन्ने पर किसानों द्वारा प्रदत्त राज्यवार और अखिल भारत औसत विपणन प्रभार।
23. (i) गन्ना उत्पादकों द्वारा फसल बीमा योजना पर वहन किए गए/प्रति हैक्टेयर और प्रति किवंटल बीमा प्रीमियम पर राज्य–वार और अखिल भारत औसत खर्च बताएं।

- (ii) फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए गन्ना उत्पादकों की राज्य वार और अखिल भारत स्तर प्रतिशतता। क्या किसानों को प्राकृतिक आपदाओं/कीट हमलों इत्यादि के कारण होने वाले दोनों फसल और आय नुकसानों के विरुद्ध अपनी फसल का बीमा कराने में कोई समस्याएं हुईं ?
- (iii) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आपके विचार/टिप्पणी क्या हैं?
- (iv) क्या बीमा कवर केवल अनुबंधित गन्ने (यदि बीमा योजना प्रीमियम चीनी मिल द्वारा भुगतान किया जा रहा है/किया जाना है) या अनुबंधित गन्ने तक भी सीमित है/सीमित होना चाहिए।

24. (i) मिल द्वार/खरीद केन्द्र पर गन्ने की सुपुर्दगी के लिए ध्यान में रखी जाने वाली राज्यवार/अखिल भारत प्रति विंटल औसत परिवहन लागत अलग अलग।
- (ii) खरीद केन्द्रों पर मिलों द्वारा सुपुर्दगी लिये जाने पर चीनी मिलों द्वारा गन्ने के परिवहन के कारण कटौती की जाने वाली राज्य-वार और अखिल भारत औसत राशि।
- (iii) 'खेत से क्रय केन्द्र', 'खेत से मील द्वार' तथा 'क्रय केन्द्र से मील द्वार' की अलग अलग गन्ने की परिवहन राज्य-वार तथा अखिल भारत औसत दूरी क्या है।
- (iv) गन्ने की कटाई पर राज्य-वार और अखिल भारत औसत लागत लगभग प्रति विंटल क्या है। यदि चीनी मिलों फसल कटाई करती है तो इसकी लागत का भार चीनी मिले वहन करती है या गन्ना किसान वहन करता है ? यदि चीनी मिलों यह लागत वहन करती है तो 2015–16, 2016–17 और 2017–18 चीनी मौसम में उसके गन्ना मूल्य से कितनी राशि (रु0 प्रति विंटल) काटी गई।
- (v) कृपया निर्यात योग्य अनुमान के अन्तर्गत 2015–16, 2016–17 और 2017–18 वर्षों के लिए चीनी के संबंध में चीनी मिल से पत्तन पर लाने का हैंडलिंग प्रभार तथा अन्य प्रभार, यदि कोई हो, के साथ परिवहन की प्रति विंटल लागत बताएं।
25. पिछले दो वर्षों के दौरान नीति मुद्दों से संबंधित अधिसूचनाओं/परिपत्रों की प्रत्येक की एक प्रति भेजी जाए।
26. क्या आपके राज्य में इसकी मांग से संबंधित गन्ना आपूर्ति बाधाएं रही हैं ? यदि ऐसा है, तो कृपया 2015–16, 2016–17 और 2017–18 वर्षों के लिए मात्रा के विषम में अनुमानित अन्तर को, राज्य-वार/क्षेत्र वार दर्शाएं।
27. कोई अन्य सूचना, जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग आयोग के ध्यान में लाना चाहेगा।

टिप्पणी: उत्तर एमएस (वर्ड)/एक्सेल में साफ़्ट प्रतियों में दिए जाएं।